

3.23

वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली दिनांक 28-4-23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर माण्डल

8.5.23 पत्रावली मटंगाई राहत कैंप एवं प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023 ग्राम पंचायत मादू में पेश हुई, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल छेकर सात हुए जिसे शांति किये गये। प्रार्थना का पत्रावली स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शांति किये गये। पत्रावली फिलहाल सुभार छेकर नम्बर से कम है।

हुक्मीचन्द राहलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-हुक्मीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 64/23 प्रा०पत्र

1- श्री हरिदास/० कोगा भील जियासी-करिया तहसील-माण्डल

-प्रार्थी

वनाम

1- श्री बुरादा/० किशवा दरोगा जियासी-करिया तहसील-माण्डल (गैर/१)
(सिद्धांतिक प्रा०पत्र संलग्न)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 08-5-23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम.....करिया.....पटवार हल्का.....करिया.....तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न० 3444/2637.....कुल कितना 01.....रकबा 1.0117.....हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 31.03.23.....को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....करिया.....पटवार हल्का.....करिया.....तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं० 3444/2637.....कुल कितना 01.....रकबा 1.0117.....हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षण आलमास.....को 500/-.....रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

हुक्मीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

हुक्मीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023